



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112020-223115
CG-DL-E-18112020-223115

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3571]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2020/कार्तिक 20, 1942

No. 3571]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2020/KARTIKA 20, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2020

का .आ. 4063(अ).—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम) 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)की धारा 3की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3879 (E) तारीख 21/10/2019, जो भारत के राजपत्र तारीख 30/10/2019, में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पश्चिम बंगाल राज्य में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एल.पी.जी. पाइपलाइन का संवर्धन तथा पटना और मुजफ्फरपुर तक इसका विस्तार परियोजना के लिए इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 16.03.2020 से 04.08.2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी, और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी

अनुसूची					
तहसील : बर्धमान -II		जिला: बर्धमान	राज्य : पश्चिम बंगाल		
क्रम सं.	मौज़ा का नाम	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	अमरा	1706	00	00	25
		2154	00	00	48
		1707	00	07	53
		1710	00	03	89
		1712	00	00	21
		1711	00	02	11
		1713	00	03	24
		1714	00	03	61
		1499	00	08	04
		1498	00	04	82
		1497	00	04	57
		1496	00	05	08
		1495	00	01	22
		1494	00	04	79
		1490	00	07	07
		1489	00	04	04
		1491	00	00	19
		1403	00	05	44
		1420	00	00	94
		1419	00	03	00
		1418	00	00	10
		1417	00	02	72
		1416	00	01	52
		1415	00	08	11
		1412	00	00	10
		1411	00	01	07

[फा.सं. आर- 11025(11)/246/2017-ओ-आर-I/ई-17777]

पी. सोमाकुमार, अवसर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2020

S.O. 4063(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.3879 (E) dated the 21st October,2019, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962),(hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 30th October,2019, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the Purpose of laying pipeline for “**Augmentation of Paradip - Haldia- Durgapur LPG Pipeline Project & its extension up to Patna & Muzaffarpur**” by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public from 16.03.2020 up to 04.08.2020.

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE					
Tehsil:- Burdwan-II		District:- Burdwan	State :- West Bengal		
Sl. No.	Name of the Village	Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Amra	1706	00	00	25
		2154	00	00	48
		1707	00	07	53
		1710	00	03	89
		1712	00	00	21
		1711	00	02	11
		1713	00	03	24
		1714	00	03	61
		1499	00	08	04
		1498	00	04	82
		1497	00	04	57
		1496	00	05	08
		1495	00	01	22
		1494	00	04	79
		1490	00	07	07

Amra	1489	00	04	04
	1491	00	00	19
	1403	00	05	44
	1420	00	00	94
	1419	00	03	00
	1418	00	00	10
	1417	00	02	72
	1416	00	01	52
	1415	00	08	11
	1412	00	00	10
	1411	00	01	07

[F. No. R-11025(11)/246/2017-OR-I/E-17777]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.